

29/8/19

जिला कलक्टर, अजमेर

वकील अपीलान्ट्स उपरिथत। वकील अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 3.4.2018 की पालना में रेस्पोजेन्ट्स संख्या 01 से 02 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलबाना, निरन्तर तेरह अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नहीं किये गये है। आज भी उनके द्वारा, पक्षकार से सम्पर्क नहीं होने के कारण आदेशानुसार नोटिस तलबाना पेश करने बाबत असमर्थता जाहिर की गई है। अतः आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत अपील, अपीलान्ट अदम पालना में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

श्री

(विश्व मोहन शर्मा)

जिला कलक्टर, अजमेर